स्पीड पोस्ट/ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

औषधि अनुज्ञापन एवं नियत्रंक प्राधिकारी/उपायुक्त (औषधि),
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ।

सेवा में,

अवर सचिव,
भारत सरकार, आयुष मंत्रालय (औषधि नीति अनुभाग)
एनबीसीसी कार्यालय, ब्लाक–III (दूसरी मंजिल),
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023।

दिनांक 22/01/ 2026

सं0: ड्रग/आईजीआरएस–2026/9005/भाग–10/238

विषयः–श्री निर्मल त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की शिकायत पंजीकरण क्रमांक AYUSH/E2025/0001433 दिनांक 21.12.2025 के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0–T-20011/2/2020-DCC-Part(2) दिनांक 29.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें शिकायतकर्ता ने यह बताया है कि देवरिया जिले में 2014 से वर्तमान समय तक दवा की दुकानों पर नशीली सिरप (कोडिन कफ सिरप) बेची जा रही है, जिससे समाज में नशा फैल रहा है। जिसकी जांच श्री आशुतोष कुमार चौबे, औषधि निरीक्षक, देवरिया द्वारा की गयी, जिससे ड्रग रूल्स–1945 के नियम–65 का उलंघन पाया गया तथा नियम–66 में कार्यवाही करने हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को प्रेषित की गयी है।

प्रकरण में की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को सीधे अवगत कराते हुए मंत्रालय को भी सूचित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में सहायक आयुक्त (औषधि), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा कृत कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को सीधे अवगत कराते हुए उपलब्ध करायी गई आख्या दिनांक 19.01.2026 जो कि इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके सुलभ संदर्भ हेतु सादर प्रेषित है।

कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

22/1/26

(शशि मोहन गुप्ता)
उपायुक्त (औषधि),

सं0: ड्रग/आईजीआरएस–2026/9005/भाग–10/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अनुभाग अधिकारी (CDM) भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, बी ब्लाक–GPO काम्पलेक्स, आई0एन0ए0 110023 (Email-ayush-cdn@gov.in)
2. श्री निर्मल त्रिपाठी, शिकायतकर्ता खोराराम रोड, अमेठी मंदिर के पीछे, देवरिया, उ0प्र0 (Email-nirmaltripathi.led@gmail.com)

(शशि मोहन गुप्ता)
उपायुक्त (औषधि),

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

प्रेषक,

औषधि अनुज्ञापन एवं नियत्रंक प्राधिकारी/उपायुक्त (औषधि),
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ।

सेवा में,

अवर सचिव,
भारत सरकार, आयुष मंत्रालय (औषधि नीति अनुभाग)
एनबीसीसी कार्यालय, ब्लाक-III (दूसरी मंजिल),
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023।

सं0: ड्रग/आईजीआरएस-2026/9005/भाग-10/ दिनांक 22/01/ 2026

विषयः-श्री निर्मल त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की शिकायत पंजीकरण क्रमांक AYUSH/E2025/0001433 दिनांक 21.12.2025 के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0-T-20011/2/2020-DCC-Part(2) दिनांक 29.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें शिकायतकर्ता ने यह बताया है कि देवरिया जिले में 2014 से वर्तमान समय तक दवा की दुकानों पर नशीली सिरप (कोडिन कफ सिरप) बेची जा रही है, जिससे समाज में नशा फैल रहा है। जिसकी जांच श्री आशुतोष कुमार चौबे, औषधि निरीक्षक, देवरिया द्वारा की गयी, जिससे ड्रग रूल्स-1945 के नियम-65 का उलंघन पाया गया तथा नियम-66 में कार्यवाही करने हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को प्रेषित की गयी है।

प्रकरण में की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को सीधे अवगत कराते हुए मंत्रालय को भी सूचित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में सहायक आयुक्त (औषधि), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा कृत कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को सीधे अवगत कराते हुए उपलब्ध करायी गई आख्या दिनांक 19.01.2026 जो कि इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके सुलभ संदर्भ हेतु सादर प्रेषित है।

कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शशि मोहन गुप्ता)
उपायुक्त (औषधि),

सं0: ड्रग/आईजीआरएस-2026/9005/भाग-10/238(1-2) तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अनुभाग अधिकारी (CDM) भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, बी ब्लाक-GPO काम्पलेक्स, आई0एन0ए0 110023 (Email-ayush-cdn@gov.in)
2. श्री निर्मल त्रिपाठी, शिकायतकर्ता खोराराम रोड, अमेठी मंदिर के पीछे, देवरिया, उ0प्र0 (Email-nirmaltripathi.led@gmail.com)

22/1/26

(शशि मोहन गुप्ता)
उपायुक्त (औषधि),

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

प्रेषक,

औषधि अनुज्ञापन एवं नियत्रंक प्राधिकारी/उपायुक्त (औषधि),
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ।

सेवा में,

अवर सचिव,
भारत सरकार, आयुष मंत्रालय (औषधि नीति अनुभाग)
एनबीसीसी कार्यालय, ब्लाक-III (दूसरी मंजिल),
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023।

सं0: ड्रग/आईजीआरएस-2026/9005/भाग-10/ दिनांक 22/01/2026

विषयः-श्री निर्मल त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की शिकायत पंजीकरण क्रमांक AYUSH/E2025/0001433 दिनांक 21.12.2025 के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0-T-20011/2/2020-DCC-Part(2) दिनांक 29.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें शिकायतकर्ता ने यह बताया है कि देवरिया जिले में 2014 से वर्तमान समय तक दवा की दुकानों पर नशीली सिरप (कोडिन कफ सिरप) बेची जा रही है, जिससे समाज में नशा फैल रहा है। जिसकी जांच श्री आशुतोष कुमार चौबे, औषधि निरीक्षक, देवरिया द्वारा की गयी, जिससे ड्रग रूल्स-1945 के नियम-65 का उलंघन पाया गया तथा नियम-66 में कार्यवाही करने हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को प्रेषित की गयी है।

प्रकरण में की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को सीधे अवगत कराते हुए मंत्रालय को भी सूचित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में सहायक आयुक्त (औषधि), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा कृत कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को सीधे अवगत कराते हुए उपलब्ध करायी गई आख्या दिनांक 19.01.2026 जो कि इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके सुलभ संदर्भ हेतु सादर प्रेषित है।

कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शशि मोहन गुप्ता)
उपायुक्त (औषधि),

सं0: ड्रग/आईजीआरएस-2026/9005/भाग-10/238(1-2) तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अनुभाग अधिकारी (CDM) भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, बी ब्लाक-GPO काम्पलेक्स, आई0एन0ए0 110023 (Email-ayush-cdn@gov.in)
2. श्री निर्मल त्रिपाठी, शिकायतकर्ता खोराराम रोड, अमेठी मंदिर के पीछे, देवरिया, उ0प्र0 (Email-nirmaltripathi.led@gmail.com)

22/1/26

(शशि मोहन गुप्ता)
उपायुक्त (औषधि),

स. T-20011/2/2020-DCC-Part(2)
भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
(औषधि नीति अनुभाग)

एनबीसीसी कार्यालय, ब्लॉक-III (दूसरी मंजिल),
पूर्वी किदवई नगर , नई दिल्ली-110023
दिनांक: दिसंबर, 2025

सेवा मे

Drug Licensing and Controlling Authority,
Food Safety and Drugs Administration,
Office of Commissioner, Sector-C,
Aliganj, Lucknow-226024 Uttar Pradesh

Email: upfdadrug@gmail.com

विषय: श्री निर्मल त्रिपाठी, उत्तरप्रदेश की शिकायत पंजीकरण क्रमांक AYUSH/E/2025/0001433 दिनांक 21/12/2025के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह व्यक्त करने का निर्देश हुआ है कि श्री निर्मल त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक शिकायत संख्या AYUSH/E/2025/0001433 दिनांक 21/12/2025 का संदर्भ लिया जाए, जिसमें शिकायतकर्ता ने यह बताया है कि देवरिया जिले में 2014 से वर्त्तमान समय तक दवा की दुकानों पर नशीली सिरप (कोडिन कफ सिरप) बेची जा रही है जिससे समाज में नशा फ़ैल रहा है जिसकी जांच श्री आशुतोष कुमार पांडे, औषधि निरीक्षक, देवरिया द्वारा की गयी जिसमे ड्रग्स रूल्स 1945 के नियम 65 का उल्लंघन पाया गया तथा नियम 66 में कार्यवाही करने हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), गोरखपुर मंडल को प्रेषित की गयी है|

2. चूँकि उक्त कफ सिरप एलोपैथी औषधि की श्रेणी में आता है, अतः इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही एलोपैथी ड्रग कंट्रोलर के कार्यक्षेत्र में आती है। तदनुसार, उक्त शिकायत को आवश्यक कार्रवाई हेतु ड्रग कंट्रोलर, उत्तर प्रदेश को अग्रेषित किया जा रहा है। कृपया की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता को सीधे अवगत कराते हुए मंत्रालय को भी सूचित किया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
SANJEEV KUMAR
Date: 29-12-2025
15:41:35

भवदीय,

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. श्री निर्मल त्रिपाठी, Khoraram road behind amethi mandir Deoria, Uttar Pradesh. Email: nirmaltripathi.led@gmail.com
2. अनुभाग अधिकारी (CDN), आयुष मंत्रालय, बी ब्लॉक, GPO कॉम्प्लेक्स, आई एन ए,110023 ईमेल: ayush-cdn@gov.in

Details for registration number : AYUSH/E/2025/0001433

Name	Nirmal tripathi
Date of receipt	21/12/2025
Address	Khoraram road behind amethi mandir Deoria Deoria
District name	Deoria
State name	Uttar Pradesh
Mobile no	9307708498
Email Id	nirmaltripathi.led@gmail.com

Grievance description

Ayush >> Ayush Drugs Policy >> Others

श्रीमान संलग्न पत्र का अवलोकन करके संबंधित शिकायत एन सी ओ आर डी विभाग से संबंधित है नारकोटिक्स कंट्रोल में भेज कर उक्त प्रकरण का जांच कराया जाए सहयोग हेतु धन्यवाद

Name of organisation(s) where grievance is pending	1. Drug Policy Section
Type of receipt	Transferred

हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com

अपना देवरिय

शासन के निर्देश पर सक्रिय हुआ ड्रग विभाग, तीन दिन में देनी है खरीद-बिक्री की जानकारी

दवा की तीन दुकानों पर ड्रग विभाग का छापा, तीन साल का ब्योरा मांगा

सख्ती

देवरिया, निज संवाददाता। शहर की बड़ी तीन दवाओं की दुकानों पर शुक्रवार को ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की। दुकानों पर दवा पर नारकोटिक्स दवाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही तीन साल का ब्योरा तीन दिन के अन्दर कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निर्धारित समय में सूचना नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। इन दुकानों पर नारकोटिक्स दवाओं की अधिक मात्रा में खरीद और बिक्री की आशंका व्यक्त की जा रही है। ड्रग विभाग की छापेमारी से अन्य दवा के दुकानदारों में हड़कम्प है।

शासन ने शुक्रवार को नारकोटिक्स दवाओं की अधिक मात्रा में खरीदारी और बिक्री करने वाले दुकानदारों के प्रतिष्ठानों की जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद ड्रग विभाग सक्रिय हो गया। औषधि निरीक्षक आशुतोष दूबे के नेतृत्व में टीम शहर के दवा के दुकानों की जांच करने निकली। टीम ने शहर के नगर पालिका रोड स्थित केजरीवाल मेडिकल एजेंसी, भारत मेडिकल एजेंसी पर पहुंची। दोनों प्रतिष्ठानों पर दवाओं के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही नारकोटिक्स दवा के स्टाक, खरीद-बिक्री की जानकारी ली।

यहां से टीम ठठेरी गली स्थित श्रीराम मेडिकल एजेंसीज पर पहुंची, वहां भी टीम ने दवाओं का स्टाक चेक किया और दवाओं के बारे में जानकारी की। साथ ही औषधि निरीक्षक ने तीनों दवा दुकानदारों से नारकोटिक्स से संबंधित दवाओं के तीन साल के खरीद और बिक्री का ब्योरा तलब किया, जिसे तीन दिन के अन्दर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न करने और ब्योरा में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई हो सकती है।

नारकोटिक्स व कफ सीरप का नशे के रूप में हो रहा इस्तेमाल: नारकोटिक्स दवाओं का मानसिक सहित अन्य बीमारियों में चिकित्सक की सलाह पर सेवन किया जाता है। बिना चिकित्सक के पर्चा पर इन दवाओं बिक्री पर रोक लगाया गया है, लेकिन कुछ लोग इन दवाओं का नशे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ऊंचे दाम पर दवाएं उपलब्ध हो जाती हैं, वहीं प्रतिबंधित कफ सीरप की कुछ जगहों पर बिक्री भी की जाती है। कफ सीरप का मामला सामने आने के बाद शासन और प्रशासन गंभीर हो गया है। कफ का भी नशे के रूप में प्रयोग हो रहा है। नारकोटिक्स और कफ सीरप का सेवन नुकसानदेह साबित होता है।

नारकोटिक्स दवाओं की अधिक-खरीद बिक्री की है आशंका

"शासन के निर्देश पर शहर की बड़ी तीन दवाओं की दुकानों की जांच की गई। इस दौरान नारकोटिक्स दवाओं के बिक्री और खरीद को देखा गया। दुकानदारों से तीन साल के खरीद व बिक्री का रिकार्ड तीन दिन के अंदर उपलब्ध कराने को कहा गया है।"

- आशुतोष दूबे, औषधि निरीक्षक

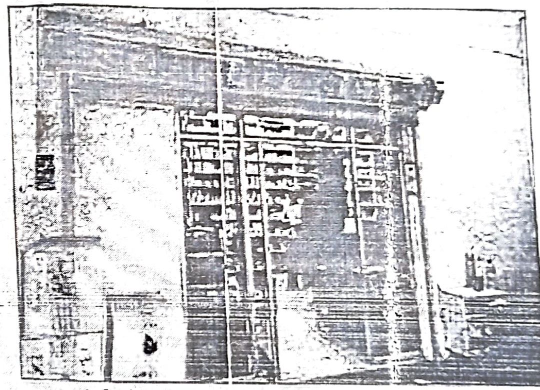

शुक्रवार को तीन मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग का छापा।

72 घंटे बाद ... है पुलिस, पू...

फॉलोअप

लार, हिन्दुस्तान संवाद। बैंक से स्टे... निकालकर घर लौट रहे बाइक स... चाचा-भतीजे के साथ हुए लू... मामले में 72 घण्टे बाद भी पुलिस ... हाथ है। पुलिस आरोपियों तक प... का प्रयास कर रही है। इसके लिए ... व एसओजी कई संदिग्ध ठिका... दबिश भी दे चुकी है, लेकिन पुलि... हाथ कुछ नहीं लग सका है। ह... मामले में पुलिस कई संदिग्ध... हिरासत में लेकर पूछताछ कर र...

लार थाना क्षेत्र के रावतपा... निवासी धीरेन्द्र यादव बुधवार को... भतीजे प्रकाश यादव के साथ त्र... चनुकी मोड़ स्थित एक बैंक पर... जहां से वे स्टेटमेंट निकालकर ... रहे थे। अभी वह क्षेत्र के ... भटपाररानी मार्ग पर रामनगर ... समीप पहुंचे थे कि पीछे एक ब... सवार दो बदमाश पहुंचे अ... रोककर पैरवा जाने का रास... लगे। जैसे ही धीरेन्द्र ने उन... बताया कि बाइक सवार बदमा... के गले से उनका सोने का चे...

10 पेटी शराब के ... एक तस्कर गिरफ...

प्रतापपुर। श्रीरामपुर थाने च...

16:09

12 December 2025 15:08

Edit

Samsung SM-G973F

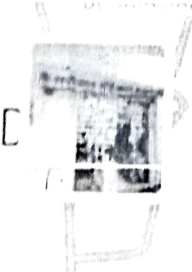

79, Gari Bazar, Kailashpuri, Deoria, Uttar Pradesh 274806, India

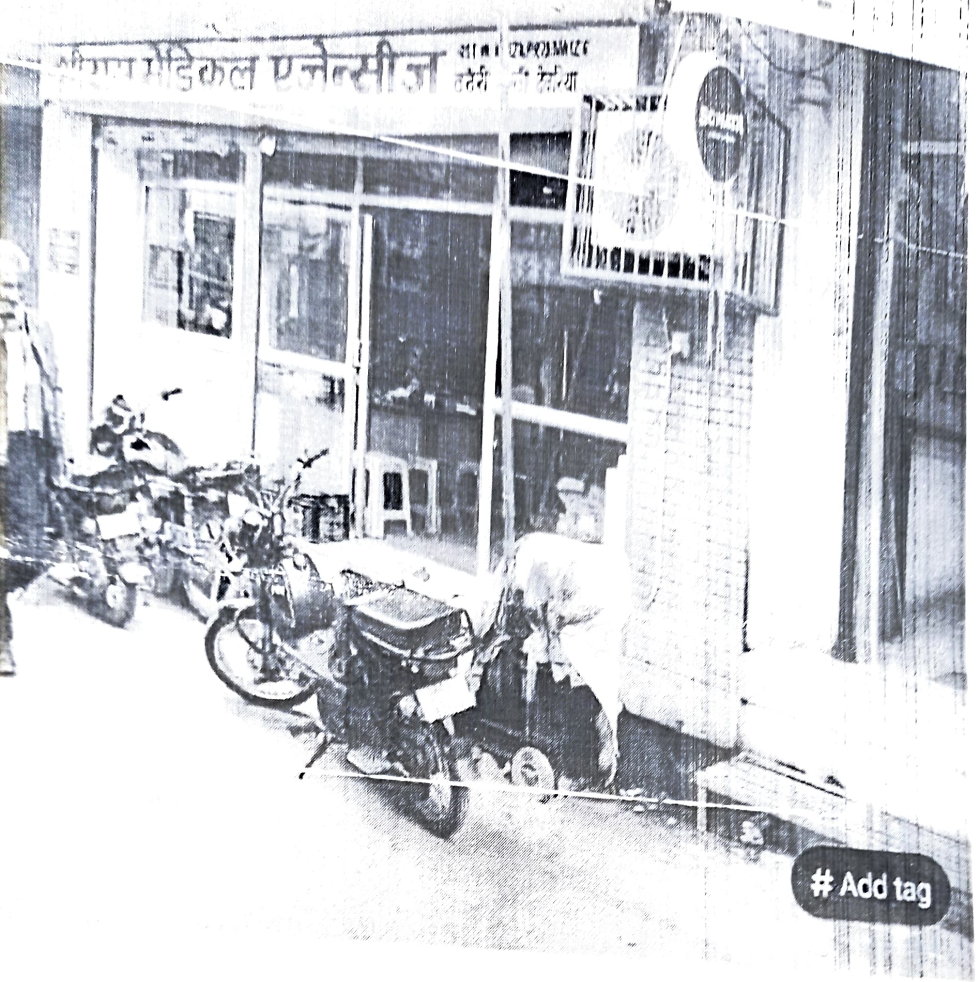

12 December 2025 12:19

Edit

20251212_121951.jpg

Internal storage/DCIM/Camera

Samsung SM-G973F

Thathen Gali (ठेठा गली, Malviya Rd, Pathar Deva, Raghav Nagar, Deoria, Uttar Pradesh 274001, India

By mail

सहायक आयुक्त(औषधि),
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

सेवा में,

उपायुक्त(औषधि),
कार्यालय आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0
सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ।

पत्रांक –1571/खा0सु0औ0प्र0गो0म0/आख्या/2025–26 दिनांक: 19/01/2026

विषयः– श्री निर्मल त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की शिकायत पंजीकरण AYUSH/E2025/0001433 कमांक दिनांक–21.12.2025 के संदर्भ में।

महोदया,

विषयक संदर्भ में आपके पत्रांक संख्या–ड्रग/8818/भाग–1/44 दिनांक–05.01.2026 के क्रम में सादर अवगत कराना है कि वर्णित शिकायत आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर भी शिकायत संदर्भ संख्या–60000250295437 प्राप्त हुयी थी, जिसमें श्री आशुतोष कुमार चौबे औषधि निरीक्षक, देवरिया द्वारा वर्णित शिकायती तीनों प्रतिष्ठानों की जॉच दिनांक–12.12.2025 को की गयी। निरीक्षण आख्याएं दिनांक–17.12.2025 को अधोहस्ताक्षरी को नियम–66 की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसमें निरीक्षण के समय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में विहित लाइसेस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियम–66 के अन्तर्गत वर्णित तीनों फर्मों क्रमशः मेसर्स–श्री राम मेडिकल एजेन्सीज, ठठेरी गली, पेड़ा गली, देवरिया, मेसर्स–केजरीवाल मेडिकल एजेन्सीज, बुद्धा शापिंग काम्पलेक्स, नगर पालिका रोड, देवरिया एवं मेसर्स–भारत मेडिकल एजेन्सी, नगर पालिका रोड, देवरिया को दिनांक–18.12.2025 को नोटिस निर्गत किये गयें।

उक्त तीनों फर्मों द्वारा अपने प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।

औषधि निरीक्षक देवरिया द्वारा अपनी आख्या दिनांक–16.01.2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण के समय सम्बन्धित फर्मो द्वारा शिकायत की गयी औषधियों के अवैध व्यापार के साक्ष्य नहीं मिलें।

औषधि निरीक्षक देवरिया की उपलब्ध आख्या, तीनों फर्मों के प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निरीक्षण के समय फर्मो पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में विहित लाइसेंसो की शर्तों का उल्लंघन पाया गया अतः निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों/अनियमितताओं (लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन) के कारण तीनों फर्मो के लाइसेंसो को दिनांक–17.01.2026 को 07–07 दिवस के लिये निलम्बित किया गया, साथ ही कोडिन युक्त औषधियों के कय–विकय एवं भण्डारण (व्यापार) की अनुमति(लाइसेंस) को भी व्यापक जनहित में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया।

शिकायतकर्ता श्री निर्मल त्रिपाठी के मोबाइल नम्बर–9307708498 पर काल किये जाने पर इनकमिग काल सुविधा न होने के कारण काल नहीं हो सकी, शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र पर वर्णित दूसरे मोबाइल नम्बर 8423414652 पर काल किये जाने पर सम्पर्क कर कृत कार्यवाही से अवगत अवगत कराया गया जिसपर उनके द्वारा की गयी कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी एवं कहाँ गया कि शिकायत को निस्तारित कर दिया जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भविष्य में कोई शिकायत होगी तो मै बगैर आई0जी0आर0एस0 के आपको फोन पर अवगत करा दूंगा, जिसपर उन्हे पूर्ण आश्वासन दिया गया।

आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या–60000250295437 की निस्तारण आख्या आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ को पत्रांक संख्या–1570/खा0सु0औ0प्र0गो0म0/आई0जी0आर0एस0शि0/2025–26 दिनांक–19.01.2026 प्रेषित की गयी है।

अतः निवेदन है कि विषयांकित शिकायत पंजीकरण कमांक AYUSH/E2025/0001433 दिनांक–21.12.2025 को निस्तारित/निक्षेपित करने की कृपा करें।

आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय,
19/01/2026
(पूरण चन्द्र)
सहायक आयुक्त(औषधि)
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् अवर सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय(औषधि निति अनुभाग) एनबीसीसी कार्यालय, ब्लाक–III (दूसरी मंजिल) पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 को सादर हेतु प्रेषित(पत्र संख्या–T-20011/2/220-DCC-Part(2) Dated-29-12-2025 के अनुपालन में)।
2. अनुभाग अधिकारी (CDM) भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, बी ब्लाक–GPO काम्पलेक्स, आई एन ए, 110023 ।(Email-ayush-cdn@gov.in)
3. श्री निर्मल त्रिपाठी(शिकायतकर्ता) खोराराम रोड, अमेठी मन्दिर के पीछे, देवरिया, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित। (Email-nirmaltripathi.led@gmail.com)

सहायक आयुक्त(औषधि)
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

by mail

सहायक आयुक्त(औषधि),
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

सेवा में,

उपायुक्त(औषधि),
कार्यालय आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0
सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ।

पत्रांक -1571/खा0सु0औ0प्र0गो0म0/आख्या/2025-26 दिनांक : 19/01/2026

विषयः- श्री निर्मल त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की शिकायत पंजीकरण AYUSH/E2025/0001433 कमांक दिनांक-21.12.2025 के संदर्भ में।

महोदया,

विषयक संदर्भ में आपके पत्रांक संख्या-ड्रग/8818/भाग-1/44 दिनांक-05.01.2026 के कम में सादर अवगत कराना है कि वर्णित शिकायत आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर भी शिकायत संदर्भ संख्या-60000250295437 प्राप्त हुयी थी, जिसमें श्री आशुतोष कुमार चौबे औषधि निरीक्षक, देवरिया द्वारा वर्णित शिकायती तीनों प्रतिष्ठानों की जॉच दिनांक-12.12.2025 को की गयी। निरीक्षण आख्याएं दिनांक-17.12.2025 को अधोहस्ताक्षरी को नियम-66 की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसमें निरीक्षण के समय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में विहित लाइसेस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियम-66 के अन्तर्गत वर्णित तीनों फर्मों क्रमशः मेसर्स-श्री राम मेडिकल एजेन्सीज, ठठेरी गली, पेड़ा गली, देवरिया, मेसर्स-केजरीवाल मेडिकल एजेन्सीज, बुद्धा शापिंग काम्पलेक्स, नगर पालिका रोड, देवरिया एवं मेसर्स-भारत मेडिकल एजेन्सी, नगर पालिका रोड, देवरिया को दिनांक-18.12.2025 को नोटिस निर्गत किये गयें।

उक्त तीनों फर्मों द्वारा अपने प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।

औषधि निरीक्षक देवरिया द्वारा अपनी आख्या दिनांक-16.01.2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण के समय सम्बन्धित फर्मों द्वारा शिकायत की गयी औषधियों के अवैध व्यापार के साक्ष्य नहीं मिलें।

औषधि निरीक्षक देवरिया की उपलब्ध आख्या, तीनों फर्मों के प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निरीक्षण के समय फर्मों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में विहित लाइसेंसो की शर्तों का उल्लंघन पाया गया अतः निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों/अनियमितताओं (लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन) के कारण तीनों फर्मो के लाइसेंसो को दिनांक-17.01.2026 को 07-07 दिवस के लिये निलम्बित किया गया, साथ ही कोडिन युक्त औषधियों के क्रय-विक्रय एवं भण्डारण (व्यापार) की अनुमति(लाइसेंस) को भी व्यापक जनहित में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया।

शिकायतकर्ता श्री निर्मल त्रिपाठी के मोबाइल नम्बर-9307708498 पर काल किये जाने पर इनकंमिग काल सुविधा न होने के कारण काल नहीं हो सकी, शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र पर वर्णित दूसरे मोबाइल नम्बर 8423414652 पर काल किये जाने पर सम्पर्क कर कृत कार्यवाही से अवगत अवगत कराया गया जिसपर उनके द्वारा की गयी कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी एवं कहा गया कि शिकायत को निस्तारित कर दिया जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भविष्य में कोई शिकायत होगी तो मै बगैर आई0जी0आर0एस0 के आपको फोन पर अवगत करा दूंगा, जिसपर उन्हे पूर्ण आश्वासन दिया गया।

आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या-60000250295437 की निस्तारण आख्या आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ को पत्रांक संख्या-1570/खा0सु0औ0प्र0गो0म0/आई0जी0आर0एस0शि0/2025-26 दिनांक-19.01.2026 प्रेषित की गयी है।

अतः निवेदन है कि विषयांकित शिकायत पंजीकरण कमांक AYUSH/E2025/0001433 दिनांक-21.12.2025 को निस्तारित/निक्षेपित करने की कृपा करें।

आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(पूरण चन्द्र)
सहायक आयुक्त(औषधि)
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः-

1. श्रीमान् अवर सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय(औषधि निति अनुभाग) एनबीसीसी कार्यालय, ब्लाक-III (दूसरी मंजिल) पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 को सादर हेतु प्रेषित(पत्र संख्या-T-20011/2/220-DCC-Part(2) Dated-29-12-2025 के अनुपालन में)।
2. अनुभाग अधिकारी (CDM) भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, बी ब्लाक-GPO काम्पलेक्स, आई एन ए. 110023।(Email-ayush-cdn@gov.in)
3. श्री निर्मल त्रिपाठी(शिकायतकर्ता) खोराराम रोड, अमेठी मन्दिर के पीछे, देवरिया, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित। (Email-nirmaltripathi.led@gmail.com)

19/01/2026

सहायक आयुक्त(औषधि)
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

18:26 59%

श्री निर्मल त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की शिकायती पंजीकरण क्रमांक AYUSH/E2025/0001433 दिनांक 21/12/2025 के संबंध में। Add label

DLA Go... Yesterday
to fsdahq-dru...

From DLA Gorakhpur Division • acd.gkp@gmail.com

To fsdahq-drug@up.gov.in

Cc ayush-cdn@gov.in
Nirmal Tripathi • nirmaltripathi.led@gmail.com

Date 20 Jan 2026, 13:47

See security details

Reply all Forward

99+